

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2021 राजस्व अपील

1. रतिराम पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी गांवडी उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 15.2.2021 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रतिराम मु. नं. 11/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 25.03.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने सम्वत 2077 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. किस्म चरागाह/सिवायचक भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से जिरह हुए बिना एवं बिना तहकीकात के ही पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर ही अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं करने के बावजूद भी अपीलान्त को दोषी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त निर्णय दिनांक 15.2.2021 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से किसी प्रकार की जिरह का अवसर दिये बिना व दस्तावेजों के प्रदर्श हुये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई सीमाज्ञान किये बिना ही अपीलान्त को अतिक्रमण का दोषी मानते हुये

अति. जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 40 / 2021 राजस्व अपील

30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बेदखली के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आदेश पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. भूमि मौके पर खाली होने तथा उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं भविष्य में उक्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.2.2021 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. भूमि पर चने की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.2.2021 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी काशत की हुई है एवं अपीलान्ट प्रार्थी एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है जो कि बार-बार अतिक्रमण कर लेता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली सं. 11/2021 सरकार बनाम रतिराम का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट रतिराम पुत्र घासी गुर्जर द्वारा सम्मत 2077 रबी में ग्राम गांवडी में स्थित चरागाह भूमि खसरा संख्या 88 रकबा 0.60 है. पर चने की काशत कर अतिक्रमण किया है तथा अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण किये जाने की अपीलान्ट की प्रवृत्ति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2021 सरकार बनाम रतिराम में पारित निर्णय दिनांक 15.2.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(आर. के. मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया



(आर. के. मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

दौसा